उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

कार्य कलाप
वर्ष–2022

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संगठन	1–5
2	नागर जल सम्पूर्ति	6–7
3	नागर जलोत्सारण	8–8
4	अमृत/जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना	9–15
5	स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0	16–16
6	डिपाजिट कार्य	17–17
7	निर्माण एवं परिकल्प सेवायें	18–22
8	राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	23–25

जल ही जीवन है

संगठन

संगठन

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या–43, सन् 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक–एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत है। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित है। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख–रखाव किया जाता है।

उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम दिनांक–24.08.2021 द्वारा निर्गत किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानानुसार उ0प्र0 जल निगम का उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन किया गया है। प्रदेश के नगरों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण के निर्माण कार्य जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण करा कर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख–रखाव हेतु सौंप दिया जाता है।

जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल

अध्यक्ष के अतिरिक्त निगम के 11 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। जल निगम (नगरीय) के प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासनिक अनुभव और जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का भी अनुभव रखने वाला अर्ह अभियन्ता हो अथवा राज्य सरकार के सचिव श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेयजल और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में अनुभव सहित मुख्य अभियन्ता स्तर के दो अभियन्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वित्त निदेशक, जिन्हें वित्तीय तथा लेखा संबंधी विषयों का अनुभव होता है, को भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता हैं। जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य हैं :–

स्थाई सदस्य	पदेन सदस्य
1. अध्यक्ष	6. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन
2. प्रबंध निदेशक	7. सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन
3. संयुक्त प्रबंध निदेशक (प्रशासन)	8. सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन
4. संयुक्त प्रबंध निदेशक (नागर)	9. सचिव आवास एवं शहरी विकास उ0प्र0 शासन
5. वित्त निदेशक	10. सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन
	11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0
	12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के 5 नियमित प्रधान, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव को जल निगम (नगरीय) की बैठकों में स्थाई आमंत्री के रूप में बुलाया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निगम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 के (अधिनियम सं.–43, सन्–1975) धारा–4 एवं 6 में निम्नवत् संशोधन किया गया हैः–

''राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्त तीन से अधिक गैर सरकारी व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगे'' वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष तैनात नहीं है।

<u>उद्देश्य एवं कार्यकलापः–</u>

1. राज्य सरकार निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।

2. राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना।

3. राज्य सरकार के निदेशेां पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए योजनाएं तैयार करना।

4. जल संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रभारों के समीक्षा करना और उन पर सलाह देना।

5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबंध करना।

6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।

7. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहाँ पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।

8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक समीक्षा करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।

10. जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाए तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन–शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यवहारिक अनुसंधान कराना।

13. इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन निगम को सौंपे गये किन्ही कृत्यों को करना।

14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाए।

जल निगम (नगरीय) की शक्तिः–

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 15(1) के अर्न्तगत जल निगम (नगरीय) की शक्तियॉ परिभाषित है।

15.(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगीः–

1. समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना।

2. किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझें।

3. अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

4. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना।

5. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गई समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।

6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।

7. स्वंय वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना।
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।
9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबंध करना।
10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।
11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम (नगरीय) कार्यालयों का विवरणः–

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम (नगरीय) में 18 मण्डल एवं 68 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्षेत्रीय कार्यलय	मण्डल कार्यालय	खण्ड कार्यालय
लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा	14 (सिविल)	56 (सिविल)
	04 वि०/याँ०)	12 (वि०/याँ०)
योग	**18**	**68**

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कर्मियों की सूचना (माह अप्रैल 2022 की स्थिति)

समूह	क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	2	3	4	5
समूह–क	1	अध्यक्ष	01	01
	2	प्रबन्ध निदेशक	01	01
	3	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक	02	01
	4	वित्त निदेशक	01	01
	5	मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	02	02
	6	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	04	03
	7	मुख्य अभियन्ता (वि०/याँ०)	01	01
	8	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	21	09
	9	अधीक्षण अभियन्ता (वि०/याँ०)	03	01
	10	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	83	72
	11	अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०)	16	13
	12	मुख्य लेखाधिकारी	01	00
	13	मुख्य आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी	01	00
	14	वित्त विश्लेषक (प्रतिनियुक्ति)	01	01
	15	वरिष्ठ लेखाधिकारी	03	00
	16	विधि परामर्शदाता (प्रतिनियुक्ति)	01	00
	17	प्रबन्धक (भूजल)	01	01
	18	वरिष्ठ जियोफिजिस्ट	01	01
	19	शोध अधिकारी	01	00
		समूह क योग	**145**	**108**

समूह	क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	2	3	4	5
समूह ख	1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	346	192
	2	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	52	35
	3	लेखाधिकारी	05	00
	4	सहायक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट	01	01
	5	सहायक जियोफिजिस्ट	01	01
	6	सहायक शोध अधिकारी	03	02
		समूह ख योग	**408**	**231**
समूह ग (तकनीकी)	1	जूनियर इंजीनियर **(सिविल)**	1073	463
	2	जूनियर इंजीनियर **(वि०/याँ०)**	185	74
	3	संगणक	57	25
	4	मुख्य मानचित्रक	27	02
	5	मानचित्रक	187	00
	6	कन्सोल ऑपरेटर	02	00
		समूह ग तकनीकी योग	**1531**	**564**
समूह ग (अतकनीकी)	1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01
	2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	04	01
	3	प्रशासनिक अधिकारी	22	51
	4	प्रधान सहायक	120	80
	5	वरिष्ठ सहायक	120	155
	6	कनिष्ठ सहायक	225	170
	7	निजी सचिव ग्रेड–1	03	01
	8	निजी सचिव ग्रेड–2	10	05
	9	आशुलिपिक ग्रेड–3	46	09
	10	आशुलिपिक ग्रेड–4	81	11
	11	वाहन चालक	200	51
	12	स्टोर कीपर (क्षेत्र)	19	00
	13	सहायक विधि अधिकारी	01	00
	14	पुस्तकालय अध्यक्ष	01	00
	15	वरिष्ठ लैब सहायक	03	01
	16	टेलीफोन आपरेटर	02	00
		समूह ग (अतकनीकी) योग	**858**	**536**
समूह घ	1	चतुर्थ श्रेणी	726	339
	2	नियमित कर्मचारी फील्ड	00	2281
		समूह घ योग	**726**	**2620**

पानी है अनमोल रतन ।
सब मिल इसका करो जतन ।।

नागर जल सम्पूर्ति

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 734 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.65 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ का लगभग 23.3 प्रतिशत है। हाल ही मे प्रदेश सरकार द्वारा 84 नये नगरीय निकाय घोषित किये गये है तथा 64 स्थानीय निकायो क विस्तार किया गया है। वर्तमान मे कुल 734 है। उक्त 672 नगरों में पाइप पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

निकाय	नगरो में पाइप पेयजल आपूर्ति की 31 मार्च, 2022 की स्थिति	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17
नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	523	461
योग	**734**	**672**

- अनाच्छादित नगरो की संख्या 62

नवसृजित नगरीय निकायों हेतु नगरीय मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

क्र. सं.	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	734 का विवरण दिया जाना है।	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
1.	10 लाख से अधिक	150	10	10
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरो में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	31
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	277	19
4.	20 हजार से कम	135*/70	393	1
	योग		**734**	**58**

* जलोत्सारण हेतु

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

मार्च 22 तक 77 निमार्णाधीन योजनाओं के विरूद्ध रू0 1557.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। वर्ष 2021–22 में 77 योजनाओं में से 38 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयी तथा 39 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त धराशि रू0 1085.59 करोड़ के सापेक्ष रू0 989.61 करोड का व्यय किया गया है।

प्रयोग स्वच्छ नीर का।
आधार स्वस्थ शरीर का।।

नागर जलोत्सारण

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 734 नागर स्थानीय निकाय है, जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न हैः–

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	16	*1
नगर पालिका परिषद	194	46	148
नगर पंचायत	523	3	520
योग	**734**	**65**	**669**

* झाँसी भौगोलिक स्थिति सीवर नेटवर्क के लिए उत्तम नही है।

उपरोक्त सभी 65 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही हैं।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

मार्च 2022 तक कुल 31 जलोत्सारण योजनाओं के सापेक्ष रू. 758.47 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 17 योजनाओं का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया है तथा शेष 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रू0 658.07 करोड़ के सापेक्ष रू0 583.87 करोड़ व्यय किया गया है।

जल निकासी कार्यक्रम

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

मार्च 2022 तक कुल 25 जलनिकासी योजनाओं के विरूद्ध रू. 244.20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया है तथा शेष 13 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रू0 233.55 करोड़ के सापेक्ष रू0 199.30 करोड़ व्यय किया गया है।

स्वच्छ निरोगी काया।
स्वच्छ नीर की माया।।

अमृत/जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना

अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाए (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से शहरी विकास भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.6.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये है। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित है, योजना की अवधि 2015–2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन का योजना की अवधि में सार्वभौमिक अच्छादीकरण करना है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण जल निकासी एवं ठोस कुड़ा प्रबन्धन के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ. प्र. जल निगम/सी.एण्ड.डी. एस. को नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए जलापूर्ति हेतु रू.1519.19 करोड़, जलोत्सारण हेतु रू.1697. 62 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रु.70.45 करोड़ कुल रू.3287.26 करोड़ के स्टेट एनुवल एक्शन प्लान (सैप) का भारत सरकार के स्तर पर गठित पाचवीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनांक 05. 12.2015 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वीकृत (सैप) के आधार पर भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कुल धनराशि रू.1409.60 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में 20% धनराशि रू. 281.81 करोड़ दिनांक 28.12.2015 को राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जलापूर्ति हेतु रू.2017.42 करोड़, जलोत्सारण हेतु रू.1795. 84 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रू.81.90 करोड़ कुल रू.3895.16 करोड़ के (सैप) का भारत सरकार के स्तर पर गठित दसवीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनाँक 14.06.2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वीकृत (सैप) के आधार पर भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कुल धनराशि रु.1638.00 करोड़ का 20% प्रथम किश्त के रुप में धनराशि रू.327.60 करोड़ दिनांक 08.08.2016 को राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है।

अमृत योजना के अन्तर्गत 172 पेयजल एवं 98 जलोत्सारण की कुल 270 परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत रू.11399.96 करोड़ की स्वीकृति 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल की 145 योजनायें तथा जलोत्सारण की 80 योजनायें, कुल 225 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

शेष मिशन अवधि वित्तीय वर्ष 2017–20 के लिए रू.4145.48 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष जलापूर्ति हेतु रू.1996.02 करोड़, जलोत्सारण हेतु रू.2149.46 करोड़ का (सैप) भारत सरकार के स्तर पर गठित सत्रहवीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनाँक 15.03.2017 को अनुमोदित किया जा चुका है।

अब तक पेयजल हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रू. 3253.71 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) के विरूद्ध अप्रैल 2022 तक रू. 3083.38 करोड़ (कार्य +सेन्टेज) व्यय हुआ जिसके विरूद्ध लगभग 7.99 लाख नग पेयजल गृह संयोजन एवं सीवरेज हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रू. 4845.34 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) के विरूद्ध सितम्बर, 2019 तक रू. 4672.40 करोड़ (कार्य +सेन्टेज) व्यय हुआ जिसके विरूद्ध लगभग 5.97 लाख नग सीवर गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके है।

अमृत कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का सारांश

सैप	सेक्टर	प्राक्कलन स्वीकृत एसएचपीएससी	योजना ड्राप की गयी।	शासनादेश निर्गत	स्वीकृत निविदा	निविदा लंबित	पूर्ण योजना	निर्माणाधीन योजना
2015-16	पेयजल योजना	88	1	87	87	0	73	14
	सीवरेज एवं सेप्टेज योजना	38	1	37	37	0	28	9
	2015.16	**126**	**2**	**124**	**124**	**0**	**101**	**23**
2016-17	पेयजल योजना	60	2	58	58	0	40	18
	सीवरेज एवं सेप्टेज योजना	37	1	36	36	0	18	18
	2016.17	**97**	**3**	**94**	**94**	**0**	**58**	**36**
2017-20	पेयजल योजना	26	1	25	25	0	11	14
	सीवरेज एवं सेप्टेज योजना	41	2	39	39	0	14	25
	2017.20	**67**	**3**	**64**	**64**	**0**	**25**	**39**
महायोग–		**290**	**8**	**282**	**282**	**0**	**184**	**98**

उपरोक्त पूर्ण एवं निर्माणाधीन योजनाओं के सापेक्ष कराये गये मुख्य कार्य निम्नानुसार हैः–

पेयजल

1. नये नलकूप निर्माण, 392 नग पूर्ण
2. रिबोर नलकूप पाइप लाइन 70 नग पूर्ण

3.	पेयजल गृह संयोजन	7,99,295 नग पूर्ण
4.	भूमिगत जलाशय	50 नग पूर्ण
5.	शिरोपरि जलाशय	137 नग पूर्ण
6.	वितरण प्रणाली	5175 कि0मी0 पूर्ण

सीवर

1.	सीवर लाइन	1999 कि0मी0 पूर्ण
2.	सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लान	06 नग पूर्ण 08 नग प्रगति पर
3.	सीवर गृह संयोजन	596466 नग पूर्ण
4.	हाउस कनेक्टिंग चैम्बर	284734 नग पूर्ण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एव चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति

- **जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) कार्यांश** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 7 नगर निगम नामितः लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा–वृन्दावन को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 25 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत लागत रू. 6133.95 करोड के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को कुल रू. 6033.33 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रू. 5830.92 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 25 परियोजनाओं में से 15 पूर्ण कर जन उपयोगी की जा चुकी हैं। 11 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 98.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

- **यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 45 परियोजनाओं कुल स्वीकृत लागत रू. 1270.42 करोड के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को कुल रू.1233.60 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रू.1213.33 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 45 योजनाओं में से 44 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। फिरोजाबाद सीवरेज के समस्त कार्य पूर्ण है परन्तु योजना पर देनदारी शेष है।

- **यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के "ट्रांजिशन फेज़"** के अन्तर्गत स्वीकृत 7 योजनाएं कुल स्वीकृत लागत रू.353.05 करोड़ के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को कुल रू.331.20 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रू.293.08 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

स्वीकृत समस्त 7 योजनाओं में से 2 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी है तथा 5 योजनाओं के समस्त कार्य लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण हैं।

- **वाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना**

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (वाह्य सहायतित–जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगर शहर को 140 क्यूसेक एवम् मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंभिक आगणन की कुल लागत रु. 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च, 2007 में स्वीकृत हुई थी। योजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 2887.92 करोड़ को प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्राजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 को निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेनट प्लान्ट, इनटेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवम् मथुरा शहरों हेतु फीडर मेंन तथा वर्तमान में स्थिति वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित है। वर्तमान में पलरा सैटलिंग टैंक तथा सिंकंदरा आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2562.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 2455.97 करोड़ का व्यय वर्तमान तक हो चुका है।

योजना की अध्यावधिक स्थिति निम्नानुसार है :–

1. परियोजना में बुलन्दशहर के पलड़ा फाल से गंगाजल लेकर 130 कि.मी. पाइप लाइन जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ एवं मथुरा शहर से होते हुए कुल 150 क्यूसेक पानी को आगरा एवं मथुरा शहर को सप्लाई की जाती है।
2. परियोजना अपने आकार की भारत देश की सफलतम प्रथम योजना है।
3. उक्त योजना की पम्पिंग पर व्यय शून्य आता है।
4. परियोजना के अन्तर्गत 370 एम.एल.डी. पानी का ट्रीटमेन्ट किया जाता है, जिसमें आगरा शहर को 345 एम.एल.डी. एवं मथुरा शहर को 25 एम.एल.डी. गंगाजल की आपूर्ति की जाती है।

5. आगरा शहर में कुल 172917 गृह संयोजन को सप्लाई दी जाती है।

6. मथुरा शहर में कुल 35185 गृह संयोजन को सप्लाई दी जाती है।

7. योजनान्तर्गत नगर के 2 पायलट वाटर सप्लाई जोन में लीकेज प्रीवेन्शन नॉन रेवेन्यू वाटर रिडक्शन, 24X7 पेयजल आपूर्ति के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण प्रक्रिया प्रगति में है।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रू. 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवम् 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है, सीवेज का शोधन हो रहा है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 99.60 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 195.91 करोड़ के सापेक्ष रु. 190.15 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वांइट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोटस के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करा दिया गया है।

लक्ष्मी ताल (झॉसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या जे–16011/3/2003–एनआरसीडी–।। दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु. 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 50.00 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु. 49.22 करोड़ व्यय हुआ है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा योजना ट्रायल रन पर संचालित की जा रही है।

- **संचालन एवं अनुरक्षण कार्य –(एस0टी0पी0)**

एक शहर एक संचालक सिद्धान्त पर प्रदेश के 14 नगरों में कुछ 1135.30 एम0एल0डी0 क्षमता के 29 एस0टी0पी0 व तत्सम्बधित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा जल निगम द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्य लागत पर 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क जल निगम को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा 559.05 एम0एल0डी0 कुल क्षमता के 23 एस0टी0पी0 व तत्सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

अमृत 2.0

मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2025 तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के समस्त नागरिकों को पाइप पेयजल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल से आच्छादित किये जाने का सकल्प लिया गया। शासनादेश सं0– 76/नौ–5–2022–4सा/2022 दि0 6 जनवरी 2022 द्वारा उ0प्र0 जल निगम को पेयजल एवं सीवरेज कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों के सिटी वाटर बैलेन्स प्लान तथा सिटी वाटर एक्शन प्लान उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी के सम्पर्क स्थापित कर ससमय तैयार कर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड़ किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु आवंटित की गयी प्रथम किस्त की धनराशि रू0 8000 करोड़ के सापेक्ष पेयजल एवं जलोत्सारण की 101 परियोजनाये लागत धनराशि रू0 7362.27 करोड़ प्रस्तुत की गयी। शासनाके कार्यालय ज्ञाप सं0– 77/नौ–5–2022–4सा/2022 दि0 11 जनवरी 2022 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति का गठन किया गया। दिनांक 09.03.2022 को समिति द्वारा प्रथम बैठक मे 101 परियोजनाओं की स्वीकृति लागत रू0 7361.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष विस्तृत प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है।

स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ में)
1	पेयजल आपूर्ति	92	5068.91
2	जलोत्सारण योजना	19	2292.88

उपरोक्त 101 योजनाओ मे 25 योजनाएं 100 दिन से 06 माह हेतु तथा शेष 76 योजनाओ को 06 माह से 01 वर्ष की अवधि मे प्रारम्भ किये जाने हेतु लक्षित किया गया है।

विकसित हो राष्ट्र हमारा।
स्वच्छ हो देश हमारा।।

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों में जलोत्सारण हेतु शासनादेश सं0–91/नौ–5– 2022–03सा/2022 दिनांक 06.01.2022 उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरण में 112 नगरों का चयन किया गया है। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नगरों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 37 नगरों के सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान रू0 697.45 करोड़ पूर्ण करा लिया गया है जिसकी स्वीकृति आगामी राज्य स्तरीय तकनीकि समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। योजना की वित्त पोषण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

1. केन्द्रांश 50 प्रतिशत
2. राज्यांश 33 प्रतिशत
3. यू0एल0बी0 अंश 17 प्रतिशत

मन में रखो एक ही सपना।
स्वच्छ बनाना है भारत अपना।।

डिपाजिट कार्य

डिपाजिट कार्य

उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) प्रदेश की पेयजल एवं सीवरेज कार्यों की अग्रणीय संस्था है जिसे इस क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकि अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है। जल निगम द्वारा अपने कार्य भार को बढाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य विभागों से कार्य प्राप्त कर अपने कार्यभार को बढ़ाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में रू0 125.00 करोड़ का कार्य प्राप्त किया गया है। जिससे उ0प्र0 जल निगम द्वारा रू0 15.00 करोड़ की धनराशि सेन्टेज के रूप में अर्जित की गयी।

CONSTRUCTION & DESIGN SERVICES
U.P. JAL NIGAM

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,

उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय)

का संक्षिप्त विवरण

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) का कार्य कलाप

सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम का सृजन वर्ष 1989–90 में उ0प्र0 जल निगम की विंग के रूप में प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के कार्यों को प्राप्त कर जल निगम के कार्यभार में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम की शासनादेश सं0–2401/9–3–91–249–C/91 दिनांक 06.06.1991 द्वारा शासकीय निर्माण ऐजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शासनादेश संख्या–E–8–157/10–2013–1074/2012 दिनांक 12.02.2013 द्वारा सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को प्रथम श्रेणी की कार्यदायी संस्था की श्रेणी में रखते हुए किसी भी सीमा के निर्माण कार्यों हेतु अधिकृत किया गया।

- उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों यथा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पांडिचेरी जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पंजाब एवं पूर्वोत्तर राज्यों आदि में भी सी0एण्ड डी0एस0 को उसकी ख्याति के आधार पर कार्य प्राप्त हुए है, जिनका सफलतापूर्वक सम्पादन किया गया/जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के लगभग रू0 500 करोड़ के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जा चुके है तथा लगभग रू0 400 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन है।
- सिविल निर्माण से अलग हटकर पिछले वित्तीय वर्षों में सी।0एण्ड डी0एस0 को नागरिक उड्डयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य भी प्राप्त हुए जिनका सफल सम्पादन किया गया/जा रहा है। सी0एण्ड डी0एस0 की कार्य कुशलता को देखते हुए वर्ष 2020–2021, 2021–22 विभाग को प्रदेश के 36 नगरीय निकायों में जनित ठोस अपशिष्ट के प्रेसंस्करण एवं निस्तारण हेतु नवीन प्लान्ट के अधिष्ठापन कार्य हेतु लगभग रू0 300 करोड़ के कार्य प्राप्त हुए।

वित्तीय एवं भौतिक स्थितिः–

वर्ष 2019–20 में रु0 1300.91 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त करने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष माह 03/2020 तक रू0 1365.10 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त हुआ। उक्त कार्यो से रू0 122.85 करोड़ की सेन्टेज अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 473 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसके सापेक्ष माह 03/2020 तक कुल 466 परियोजनायें पूर्ण की गयीं है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 1393.53 करोड़ का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष कोविड प्रभाव के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के पश्चात भी दिनांक 31 मार्च 2021 तक रू0 1172.04 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष रू0 101.68 करोड़ की सेन्टेज अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 468 परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिसके सापेक्ष कुल 384 परियोजाएं पूर्ण कर क्लाइन्ट विभाग को हस्तान्तरित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 1219.01 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2022 तक रू0 1239.95 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष रू0 120.89 करोड़ की सेन्टेज अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 364 परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिसके सापेक्ष कुल 366 परियोजाएं पूर्ण कर क्लाइन्ट विभाग को हस्तान्तरित की गयी।

सी0एण्ड डी0एस विंग की विगत वर्षो की उपलब्धि निम्नानुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या				उपलब्ध धनराशि (रू0 करोड़ में)			
	पूर्व से अवशेष निर्माणाधीन	वर्ष में प्रारम्भ	पूर्ण की गई	अवशेष निर्माणाधीन	अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्ति	कुल उपलब्ध	व्यय
प्रारम्भ से 3–2001 तक	-	-	2262	1648	-	-	-	814.27
2001-2002	1648	376	713	1311	56.10	276.59	332.69	233.26
2002-2003	1311	373	443	1241	99.43	256.49	355.92	247.07
2003-2004	1241	594	334	1501	108.85	276.08	384.93	332.62
2004-2005	1501	527	620	1408	52.31	244.21	296.52	226.03
2005-2006	1408	743	427	1724	70.49	328.62	399.11	259.63
2006-2007	1724	700	487	1937	139.48	436.49	575.97	394.60
2007-2008	1937	470	714	1693	181.37	388.02	569.39	350.57
2008-2009	1585	571	570	1586	218.82	877.58	1096.40	638.68
2009-2010	1560	380	603	1337	457.72	810.24	1267.96	861.61
2010-2011	1337	675	415	1597	406.35	1239.43	1645.78	1130.17
2011-2012	1531	768	608	1691	515.61	1226.76	1742.37	1484.02
2012-2013	1691	379	425	1645	258.35	1023.59	1281.94	951.22
2013-2014	1645	579	424	1800	330.72	1274.93	1605.65	1131.41
2014-2015	1800	538	375	1963	474.24	1272.13	1746.37	1162.14

2015-2016	1963	635	400	2198	584.23	1862.82	2447.05	1652.41
2016-2017	2198	499	298	2399	794.64	2032.66	2827.30	1992.55
2017-2018	2399	148	698	1849	834.75	758.26	1593.01	1360.40
2018-2019	1849	380	591	1638	232.61	1375.92	1608.53	1216.30
2019-2020	1638	514	466	1686	804.84	1174.23	1979.07	1365.10
2020-2021	1686	379	384	1681	613.97	1001.78	1615.75	1172.04
2021-2022	1681	364	366	1679	443.71	1295.83	1739.54	1239.25

सौ रोगों की एक दवाई।
स्वच्छ नीर और साफ सफाई।।।

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें (नलकूप विंग)

निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि0/यॉ0 नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) का उद्देश्य एवं कार्य कलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उ0प्र0 शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम मे कार्यभार की कमी को देखते हुए, उ0प्र0 जल निगम निदेशक मण्डल की 118वी0 बैठक के मद संख्या 118.21 में लिये गये निर्णय एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यकारी आदेश संख्या 1823/प्र–1/ज0नि0अनु0/सृजन/वि0/यॉ0 यूनिट/96 दिनांक 27.7.96 के द्वारा **''निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि0/यॉ0 नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम''** नाम से एक विंग का सृजन किया गया। नलकूप विंग के सृजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधित कार्य तथा अन्य विद्युत/यॉत्रिक कार्यो को डिपाजिट कार्य के रूप में प्राप्त कर उ0प्र0 जल निगम के कार्यभार में वृद्धि करने हेतु किया गया।

इस विंग के निदेशक जो उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यो का सम्पादन करती है। विंग में वर्तमान में एक मुख्य महाप्रबंधक कार्यरत है जो उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में अधीक्षण अभियंता (वि0/यॉ0) स्तर के अधिकारी होते हैं, इनका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। नलकूप विंग के अन्तर्गत 6 इकाईयॉ विभिन्न जनपदों में कार्यरत है। इन इकाईयों के इंचार्ज परियोजना प्रबंधक हैं, जो उ0प्र0 जल निगम में सहायक अभियंता (वि0/यॉ0) स्तर के अधिकारी होते है। यह 6 यूनिटें लखनऊ (2 नग), प्रयागराज, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में स्थापित है। प्रत्येक यूनिट में परियोजना प्रबंधक के अतिरिक्त यूनिट लेखाकार तथा जूनियर इंजीनियर (वि0/यॉ0) स्थानिक अभियंता के रूप में कार्यरत है।

विगत कई वर्षो से नलकूप विंग में पर्याप्त कार्यभार रहा है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक रू0 211.14 करोड़ के कार्य प्राप्त हुए है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 418 नग परियोजनाओं के कार्य प्रस्तावित थे, जिसके सापेक्ष कुल 282 नग परियोजनाओं का कार्य माह मार्च, 2022 तक पूर्ण कर रू0 162.07 करोड़ का व्यय कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में नलकूप विंग के संचालन हेतु माह मार्च, 2022 तक 3.77 करोड़ का राजस्व व्यय एवं रू0 13.51 करोड माह मार्च, 2022 तक की राजस्व प्राप्ति हुयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में नलकूप विंग के संचालन हेतु लगभग 3.80 करोड़ का राजस्व व्यय सम्भावित है। जबकि प्रस्तावित कार्यभार 155.00 करोड़ का संभावित है जिससे 19.37 करोड़ राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। वर्तमान में नलकूप विंग द्वारा मुख्यतः नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधित कार्य, विद्युत सबस्टेशनों का स्थापन, प्रकाश व्यवस्था के कार्य, प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में आक्सीजन जेनरेटर तथा मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, ई.टी.पी., सीवर लाइन एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशनों एवं बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य तथा सौर ऊर्जा, स्काडा एवं आटोमेशन, रेलवे ट्रेनों में क्विक वॉटरिंग सिस्टम, ग्राउन्ड वाटर रिर्चाजिंग, रूफ टाप रेन वाटर हार्वेसटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य

सम्पादित कराये जा रहे हैं, जिनमें नलकूप निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो के आदेश जो इस विंग को प्राप्त हुए हैं एवं हस्तान्तरण नोट, जो कार्य सम्पादन के उपरान्त क्लाइंट विभाग को हस्तगत किए जा चुके हैं।

श्री आशुतोष टण्डन, मा. विधायक लखनऊ पूर्वी एवं पूर्व मां0 मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत भाऊॅराव देवरस हॉस्पिटल महानगर, लखनऊ में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा आक्सीजन सप्लाई के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए 600 एल.पी.एम. क्षमता के आक्सीजन जनरेटर प्लान्ट, 70 बेड पर आक्सीजन गैस पाइप लाइन एवं पोर्टेबल एक्सरे मशीन (सी0आर0 सिस्टम सहित) की स्थापना का कार्य सी.एण्ड डी.एस. वि0/यॉ0 नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया गया है, जिसकी लागत क्रमशः रू0 75.75 लाख, रू0 19.19 लाख एवं रू0 17.52 लाख है। उक्त कार्य युद्धस्तर पर धनराशि मिलने (19.05.2021) से मात्र 25 दिनों में पूर्ण करा कर लोकार्पण पूर्व मा0 मंत्रीजी से कराया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 का कार्य बजटः–

(रू0 लाख में)

कार्यक्रम का नाम	वास्तविक प्राप्ति वर्ष 2021–22	वास्तविक राजस्व प्राप्ति सेन्टेज के रूप में	प्राप्त कार्य के सापेक्ष पूर्ण किये गये कार्यो की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवशेष धनराशि	अनुमानित प्राप्तियाँ वर्ष 2022–23	कुल अनुमानित प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2022–23	अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2022–23
डिपोजिट/टेण्डर कार्य	21114.00	1351.04	16207.25	4900.00	10600.00	15500.00	1937.00

स्वच्छता को अपनाओ।
समाज में खुशियाँ लाओ।।

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ
उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय)

राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दिशा–निर्देश पर राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या 116/प्रा–1/एच0आर0डी0 सेल/9, दिनांक 13.05.96 के क्रम में शासनादेश संख्या 1575/38–5–99–657/97, दिनांक अप्रैल 26, 1999 द्वारा गठित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के क्षेत्र में चल रहे समस्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के समन्वयक/नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकृत प्रकोष्ठ है, जिसमें कार्यरत प्रायः सभी अधिकारी/कर्मचारी विस्तृत अनुभव प्राप्त पर्यावरण अभियन्ता एवं सामुदायिक सहभागिता विशेषज्ञ है। प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के मध्य राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जनपदों में 60,000 से अधिक प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों को न केवल हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पंचायतों की क्षमता विकास किया गया, अपितु प्रदेश के 35,000 से अधिक ग्रामों में जन–जागरूकता/आई0ई0सी0 कार्यक्रमों के साथ–साथ 275 विकास खण्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर 16,000 ग्रामों में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों (वी0डब्लू0एस0सी0) का गठन भी कराया गया।

विगत वर्षो में सेक्टर प्रोफेशनल एवं ग्राम्य स्तरीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराये गयेः–

वर्ष 2009–2010, 2010–11 एवं 2011–12

1. 28 सहायक अभियन्ताओं का इन्डक्शन कोर्स।
2. लेखाकारों का इण्डक्शन कोर्स।
3. सामान्य एवं एडवान्स कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
4. विद्युत यॉत्रिक जूनियर इंजीनियरों का तकनीकी प्रशिक्षण।
5. नदी जल अभिकरण'' गठन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन।
6. यूनीसेफ सहायतित फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं सी0डी0डी0 वाटसन कार्यक्रमों का आयोजन।
7. दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन तथा फोर्सलिफ्ट हैण्डपम्पों के रख–रखाव पर प्रशिक्षण

वर्ष 2012–13 से 2018–19 के मध्य टी0एन0ए0 (ट्रेनिंग नीड असिसमेन्ट) कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. टी0एन0ए0 कार्यक्रम (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) के अन्तर्गत विभिन्न विधाओं में 92 बैच प्रशिक्षण कार्य कराकर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर्स, सहायक अभियन्ताओं, तकनीकी उच्चाधिकारियों एवं अतकनीकी स्टॉफ को प्रशिक्षित किया गया।
2. मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम0एन0एन0आई0टी0) प्रयागराज में ''सेक्टर प्रोफैशनल मद'' में निम्नलिखित विधाओं में जल निगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं के प्रशिक्षण कराये गयेः
   क. हाइड्रोलिक एण्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ वाटर टैंक एण्ड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स फॉर वाटर सप्लाई मैनेजमेन्ट।
   ख. कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेन्ट इन वाटर सप्लाई सेक्टर।
   ग. सस्टेनेबिल वेस्ट वाटर एण्ड सेनीटेशलन मैनेजमेन्ट फॉर रूरल एरियाज : स्टेटडीज, इश्यूज एण्ड चैलेन्जेय।
3. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण कार्य कराया गया– 3 बैच
4. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग में ई–टेण्डर व्यवस्था लागू करने के लिए अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के एक दिवसीय ई–टेण्डर विषय पर प्रशिक्षण कराया गया – 7 बैच
5. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में वर्ष 2017 में नव नियुक्त जूनियर इंजीनियर्स/सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण कार्य कराया गया। जूनियर इंजीनियर्स–12 बैंच सहायक अभियन्ता–3 बैंच
6. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य 6 बैच में कराया गया।

वर्ष 2019–2020 में सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

1. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत, उ0प्र0 जल निगम में अमृत योजनाओं पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर्स/सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण (तकनीकी/लेखा)
2. उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत वर्ष 2013 एवं 2015 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का तीन दिवसीय लेखा प्रशिक्षण।

3. उ0प्र0 जल निगम कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि हेतु अर्ध दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेन्ट एवं पर्सनालिटी डेबल्पमेन्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4. उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को बेन्टले सॉफ्टवेयर पर जल वितरण प्रणाली एवं सीवर प्रणाली के डिजाइन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

<u>वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षणः–</u>

1. उ0प्र0. जल निगम में कार्यरत प्रोन्नत लेखाकारों का तीन दिवसीय लेखा सम्बन्धी प्रशिक्षण।
2. उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत 2013, 2015 बैंच के सहायक अभियन्ताआं का तरीन दिवसीय लेखा प्रशिक्षण।
3. उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ताओं का दो दिवसीय एक्जीक्यूटि एक्सीलेन्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एवं लीडरशिप डेवलपमेन्ट पर प्रशिक्षण।
4. 24 X 7 नगरीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्काडा मानीटरिंग एवं कन्ट्रोल प्रणाली पर दो दिवसीय प्रशिक्षण।
5. सख्त चट्टानी तथा एलूवियल क्षेत्र में अन्वेषण करने की भूवैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण।
6. पम्पिंग सिस्टम एवं पम्पिंग मशिनरी के प्रबन्धक एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित दो दिवसीय प्रशिक्षण।
7. मोटिवेशन एवं कम्यूनिकेशन विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण।
8. नलकूप निर्माण/ विकास, जनरेटर, ट्रान्सफार्मर, केबिल, स्टार्टर, सर्किट ब्रेकर और स्टेबलाइजर तथा सोलर प्लान्ट तथा सोलर पैनल के डिजाइन पर दो दिवासीय प्रशिक्षण विद्युत/ यांत्रिक अभियन्ताओं हेतु।
9. कन्स्ट्रक्सन मेनेजमेन्ट एवं गुणवक्ता नियंत्रण पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ताओं हेतु।
10. उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं हेतु एडवान्स सीवेज ट्रीटमेन्ट नवीनतम तकनीकी (एम0बी0बी0आर0, एम0बी0आर0, एस0बी0आर0 प्रक्रिया) पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
11. जूनियर इंजीनियर हेतु दो दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
12. जल गुणता प्रबन्धन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण।
13. कार्य स्थल पर गुणता नियंत्रण एवं समस्यों के समाधान पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
14. चार दिवसीय वॉटर जेम सॉफ्टवेयर (वॉटर डिस्ट्रीब्यूसन प्रणाली एवं राइजिंग मेन की हाइड्रोलिक डिजाइन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।